

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक:-12/वि0-195/2026 -1382

पटना, दिनांक:- 7.9.26

सेवा में,

✓ महालेखाकार,

वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

**विषय:** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में एस0सी0 एस0टी0/सरकारी स्कूल/सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में पुराने जीर्ण-शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़/बाढ़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 500 अदद नये चापाकलों (इण्डिया मार्क-॥ हैण्ड पंप के साथ) का निर्माण (प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोखता सहित) हेतु रू0 470.50 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख पचास हजार) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

**आदेश:** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में एस0सी0 एस0टी0/सरकारी स्कूल/सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में पुराने जीर्ण-शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़/बाढ़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 500 अदद नये चापाकलों (इण्डिया मार्क-॥ हैण्ड पंप के साथ) का निर्माण (प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोखता सहित) हेतु रू0 470.50 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख पचास हजार) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अपने कार्यालय के ज्ञापांक-1932, दि0-23.06.2026 द्वारा ₹1932.00 लाख (उनीस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया गया है (संलग्न-परिशिष्ट-1)। इस राशि से योजना का व्यय वहन किया जायेगा।

जिसका बजट शीर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-01-सूखा, लघु शीर्ष-282-लोक स्वास्थ्य, उप शीर्ष-0002- जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मत, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245012820002 में विषय शीर्ष-27 02- अनुरक्षण एवं मरम्मत होगा।

3. इस योजना की तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है तथा विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
4. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट-॥ पर संलग्न है।
5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
6. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
7. इस योजना को दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. स्वीकृत योजना अन्तर्गत चापाकलों का निर्माण वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर एस0सी0/एस0टी0/सरकारी स्कूल/सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में किया जाएगा एवं निर्मित चापाकल का Geo Tag तथा समाजिक प्रमाण-पत्र का विभागीय MIS पर अपलोडिंग के पश्चात् ही कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान किया जाएगा।

34

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जा सकता है।
10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) तथा क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे।
11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
14. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
15. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।
16. योजना का कार्यान्वयन E-Proc-2 के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत की जायेगी।
17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इस पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोपरि।

*अमर*  
07/09/2026  
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक-12/वि0-195/2026- 1382

पटना, दिनांक- 7.9.26

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (द0बि0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (अनु0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/कार्यवाहक सहायक-12/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।
5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

*अमर*  
07/09/2026  
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(कार्य प्रबंधन)

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलों में आपदा/विशेष परिस्थिति की स्थिति में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के विरुद्ध नये चापाकलों के निर्माण कार्य।

| Sl No. | Name of District | Name of P.H. Division | Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.860 Lakh |                          | Total No. of Hand Pumps | Total Amount for construction of Hand Pumps |                          | Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.081Lakh |                          | Total Amount |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|        |                  |                       | Physical (In Nos.)                                                              | Financial (Rs. In Lakhs) |                         | Physical (In Nos.)                          | Financial (Rs. In Lakhs) | Physical (In Nos.)                                         | Financial (Rs. In Lakhs) |              |
| 1      | 2                | 3                     | 4                                                                               | 5                        | 6                       | 7                                           | 8                        | 9                                                          | 10                       |              |
| 1      | Arwal            | Arwal                 | 50                                                                              | 43.00                    | 50                      | 43.00                                       | 50                       | 4.050                                                      |                          | 47.05        |
| 2      | Gaya ji          | Gaya ji               | 50                                                                              | 43.00                    | 50                      | 43.00                                       | 50                       | 4.050                                                      |                          | 47.05        |
| 3      |                  | Sherghati             | 50                                                                              | 43.00                    | 50                      | 43.00                                       | 50                       | 4.050                                                      |                          | 47.05        |
| 4      | Jehanabad        | Jehanabad             | 50                                                                              | 43.00                    | 50                      | 43.00                                       | 50                       | 4.050                                                      |                          | 47.05        |
| 5      | Vaishali         | Hajipur               | 100                                                                             | 86.00                    | 100                     | 86.00                                       | 100                      | 8.100                                                      |                          | 94.10        |
| 6      | Samsatipur       | Samsatipur            | 50                                                                              | 43.00                    | 50                      | 43.00                                       | 50                       | 4.050                                                      |                          | 47.05        |
| 7      | Chhapra          | Chhapra               | 100                                                                             | 86.00                    | 100                     | 86.00                                       | 100                      | 8.100                                                      |                          | 94.10        |
| 8      | Siwan            | Siwan                 | 50                                                                              | 43.00                    | 50                      | 43.00                                       | 50                       | 4.050                                                      |                          | 47.05        |
| Total  |                  |                       | 500.00                                                                          | 430.00                   | 500.00                  | 430.00                                      | 500.00                   | 40.50                                                      |                          | 470.50       |

Total Amount Rs.470.50 Lakhs (Rs.Four Crore Seventy Lakh and Fifty Thousands only)

Technical approval accorded for Rs 470.50 Lakh (Rupees four crore Seventy Lakh and fifty thousands only). for AA only.

Asst  
22-08-2026  
JE/Design-7  
22/08/26  
24/8/26  
AE-D-08

Executive Engineer  
P.H. Design & Planning  
Division No.-7, Patna

अधीक्षक अभियंता  
जल संचयन एवं योजना  
अ.स. 3-7-7

Chief Engineer (Design)  
Public Health Engineering Department  
Bihar, Patna

संख्या-03/बजट-01-24/2026/...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय  
शीर्ष-2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत के अन्तर्गत  
कुल रु० 900.00 लाख (नौ करोड़ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय  
मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-01-सूखा,  
लघुशीर्ष-282-लोक स्वास्थ्य, उपशीर्ष-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की  
मरम्मत, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245012820002-जलापूर्ति हेतु कुओं  
आदि की मरम्मत में विषय शीर्ष-27 02-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत उपबंधित  
राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. | विभाग         | पूर्व आवंटन<br>(वित्तीय वर्ष<br>2026-27) | वर्तमान आवंटन<br>(वित्तीय वर्ष<br>2026-27) | आवंटन का योग<br>(वित्तीय वर्ष<br>2026-27) |
|------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.   | 2.            | 3.                                       | 4.                                         | 5.                                        |
| 1.   | लोक स्वास्थ्य | 00.00                                    | 900.00                                     | 900.00                                    |
|      | अभिव्यक्ति    |                                          |                                            |                                           |
|      | निर्माण विभाग |                                          |                                            |                                           |

की गई अध्यायना के आलाप न आवंटन के जा रहा है। आवंटन राशि व  
वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रयोजन की समस्या से निपटने हेतु चापाकलों के निर्माण  
के निमित्त व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की गिकारी Fully Vouchered Bill के माध्यम से का जाएगा।  
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापक-2561/वि0 (2) दिनांक-17.4.1998 के  
आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मो० नदीमुल गणकार सिद्धीकी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03 / बजट-01-24 / 2026 / 24 / आ0प्र0. पटना-23 दिनांक-11-05-26

प्रतिलिपि—

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-608 दिनांक-23.04.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आरा सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ प्रधान आरा सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव